

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 820/2010/सिरोही

सहायक आयुक्त,  
विशेष वृत्त, पाली  
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स भंसाली इंजिनियरिंग  
पॉलीमर्स लि०, आबूरोड

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य  
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,  
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 06/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 26.11.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, पाली (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2005-06 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "सीएसटी एक्ट" कहा जायेगा) की धारा 9(2), 10ए(1) सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "आरवैट एक्ट" कहा जायेगा) की धारा 29 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 25.09.2008 में सीएसटी एक्ट की धारा 10ए के अंतर्गत आरोपित शास्ति की राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करते हुए इस बिन्दु पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। यद्यपि मैमोरेण्डम ऑफ अपील में "सी" फॉर्म प्रस्तुत नहीं होने के कारण आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज आदि बिन्दु विवादित किये गये थे परन्तु कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाये जाने के कारण उक्त बिन्दु अब विवादित नहीं रहा है तथा अन्य बिन्दुओं का भी निराकरण हो जाने के कारण इन्हें अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के समय विवादित नहीं किया गया है, अतः इन्हें not pressed मानते हुए disposed माना जाता है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रकार के पॉलीमर्स/कैमिकल्स कीमतन रूपये 66,93,198/- का स्टॉक ट्रांसफर प्रत्यर्थी कम्पनी की सतनूर (म.प्र.) को किया जाना घोषित किया है। कर निर्धारण अधिकारी

निरन्तर.....2


3/

4/



ने यह अवधारित किया है कि प्रत्यर्थी ने जो कच्चा माल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में खरीद कर उस कच्चे माल का उपयोग राजस्थान राज्य में नहीं करके उक्त माल का ब्रांच ट्रांसफर सतनूर स्थित इकाई को दर्शाया है, इस कारण केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10(बी), 10(डी) का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्युत्तर को अमान्य करते हुए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10(बी) का स्पष्ट उल्लंघन होना मानकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध राज्य कर की दर के डेढ़ गुना शास्ति अर्थात् 18 प्रतिशत से रूपये 12,04,775/- की शास्ति आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये उक्त आरोपण तथा अन्य कुछ बिन्दुओं पर कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील को आंशिक स्वीकार किया तथा प्रस्तुत अपील में विवादित बिन्दु (धारा 10ए सीएसटी एक्ट की शास्ति) को अपास्त कर दिया। इस बिन्दु पर अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।


3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार किये बिना पारित किया गया है। धारा 10ए की शास्ति तभी आरोपित की जा सकती है जब माल का आयात दूसरे राज्य से घोषणा प्रपत्र "सी" के विरुद्ध रियायती दर से खरीद कर किया गया हो तथा उस घोषणा प्रपत्र "सी" का दुरुपयोग किया गया हो लेकिन प्रत्यर्थी के कथनानुसार उसने यह माल "सी" फॉर्म से नहीं खरीदा है बल्कि भारत देश के बाहर से आयात किया है। चूंकि देश के बाहर से आयात किया गया माल किसी घोषणा पत्र के समर्थन में रियायती कर दर पर नहीं मंगवाया जाता है, अतः घोषणा पत्रों का कोई दुरुपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है तथा न ही शास्ति आरोपण का कोई कारण बनता है। इस तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के आलोक में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में एक ही बिन्दु विवादित है कि क्या देश के बाहर से आयात किये गये कच्चे माल को आयातकर्ता कम्पनी की अन्य राज्य में स्थित इकाई को ब्रांच ट्रांसफर/स्टॉक ट्रांसफर किये जाने की स्थिति में क्या सीएसटी एक्ट की धारा 10(बी) का उल्लंघन माना जायेगा तथा कि क्या ऐसे मामलों में धारा 10ए के अंतर्गत शास्ति आरोपित की जा सकती है ?








6. प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा कतिपय रॉ मेटेरियल आइटम्स भारत के बाहर से आयात किये गये तथा इन्हें सतनूर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित अपनी इकाई को प्रोसेसिंग हेतु स्टॉक ट्रांसफर कर दिया। उस इकाई से प्राप्त प्रोसेस्ड मेटेरियल को प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा अपने अन्तिम उत्पाद 'प्लास्टिक ग्रेन्युल्स' के विनिर्माण में काम में लिया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त ब्रांच ट्रांसफर को सीएसटी एक्ट की धारा 10(बी) एवं 10(डी) का उल्लंघन मानते हुए इस माल पर अन्यथा देय कर की डेढ़ गुणी शास्ति केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10ए के अंतर्गत आरोपित की है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सीएसटी एक्ट की धारा 10(बी) का अपराध ऐसी दशा में कारित माना जाता है जब व्यवहारी द्वारा कोई माल क्रय करते समय यह मिथ्या घोषणा की गई हो कि वह माल उसके पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज है। इसी प्रकार धारा 10(डी) का अपराध ऐसे प्रकरणों में कारित माना जाता है जब किसी व्यवहारी द्वारा धारा 8(3)(बी)/(सी)/(डी) या धारा 8(6) के प्रावधानों के अंतर्गत कोई माल खरीदा गया हो परन्तु उसका उपयोग बिना किसी यथोचित कारण के अन्यथा प्रयोग में ले लिया गया हो। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उक्त दोनों ही परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं क्योंकि न तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा माल क्रय करते समय कोई मिथ्या घोषणा की गई है तथा न ही घोषणा पत्रों के समर्थन में रियायती दर पर माल क्रय करने के पश्चात उसका अन्यथा उपयोग किया है।
7. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत माल भारत के बाहर से आयात के क्रम में क्रय किया गया है जहां न कोई मिथ्या घोषणा की गई प्रकट होती है तथा न ही घोषणा पत्रों के समर्थन से रियायती दर पर माल क्रय करते हुए इसका अन्यथा प्रयोग किया गया है, अतः उपरोक्त वर्णित दोनों परिस्थितियां प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होने से धारा 10(बी)/(डी) के उल्लंघन या धारा 10ए के अंतर्गत शास्ति आरोपण का कोई आधार नहीं पाया जाता है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।
8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।



06.04.2018  
(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य



(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य